न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री छोगाराम पुत्र श्री राजाराम जाति मीणा निवासी वेरा जैतपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 45/2021

उपस्थितिः

(1) श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
(2) नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
(3) अधिवक्ता श्री भवानीसिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 30.07.2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा
1	271	1.13 बीघा
2	272	2.10 बीघा
3	273	0.09 बीघा
4	275	3.09 बीघा
5	276	20.08 बीघा
6	277	1.14 बीघा
7	278	0.07 बीघा
8	279	11.09 बीघा
9	281	2.14 बीघा
10	295	6.04 बीघा
11	302	8.10 बीघा
12	334	4.03 बीघा
कुल किता 12		कुल रकबा 63.10 बीघा

कुल किता 12 कुल रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा की भूमि प्रार्थी के पिता स्व. श्री राजाजी मीणा के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की थी, जो श्री राजाजी का स्वर्गवास

जिला कलेक्टर, सिरोही

होने के बाद उनके सभी प्रार्थी व उसके अन्य पांच भाई क्रमशः श्री पूनाजी, श्री वेनाजी, श्री मनाजी, श्री जोराजी व श्री देवाजी को प्राप्त हुई। यह कि उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें प्रार्थी व उसकी पुत्रीयों का 1/6 वां हिस्सा खातेदारी हक अधिकार व कब्जे का है। उक्त आराजी में प्रार्थी अपने भाईयों तथा उनके वारिसान के साथ मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी आज भी मौके पर काबिज है तथा आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहा है। यह कि प्रार्थी व उसके भाई अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की आराजी है, जिसका विक्रय या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति, संस्था, कम्पनी या अनूसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकता है, ऐसा विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णतया प्रतिबंधित है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की उक्त आराजी का हस्तान्तरण कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं किया है। यह कि प्रार्थी की उक्त आराजी का नीलामी में भी विक्रय भी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता है, विधि अनुसार नीलामी में भी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि को अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है, फिर भी जन जागरण शिविर दिनांक 25.06.1994 में नामान्तकरण संख्या 240 खोलकर यह दर्ज किया गया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सिरोही के आदेश कमांक 93–94, 94–97 दिनांक 03.02.1994 के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो मुकनसिंह पुत्र चन्दनसिंह द्वारा कृषि भूमि खुली नीलामी से क्रय 1/6 हिस्सा की है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र के अनुसार अमल दरामद हेतु आदेशित किया गया है, तहसीलदार शिवगंज के आदेश कमांक तराले/94–95/768–70 दिनांक 26.04.1994 के तहत पालनार्थ नामान्तकरण दायर किया गया। आगे यह भी अंकित किया गया कि मौके पर क्रयकर्ता श्री मुकनसिंह पुत्र चन्दनसिंह का वास्तविक कब्जा काश्त नहीं है। यह कि उक्त नामान्तकरण दर्ज किया जाकर उसी रोज केम्प में स्वीकार किया गया और उक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी की पीठ पीछे की गई है, जबकि प्रार्थी ने कभी भी कोई ऋण किसी भी बैंक या संस्था से प्राप्त नहीं किया है तथा न ही प्रार्थी से कोई व्यक्ति राशि मांगता है, प्रार्थी की उक्त भूमि की खुली नीलामी कभी भी नहीं हुई है तथा न ही अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूमि को नीलामी में खरीद किया है। तत्कालीन तहसीलदार, शिवगंज अप्रार्थी संख्या दो के नजदीकी रहे है, जिन्होनें प्रार्थी की भूमि को हडपने के दुर्भावनापुर्ण आशय से समस्त कागजी कार्यवाही प्रार्थी की पीठ पीछे प्रार्थी की जानकारी के बिना की गई है। यह कि धारा 42 'ख' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जन जाति का सदस्य न हो, शून्य होगा। प्रार्थी जो अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था, जिनके द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति के हक में आराजी का विक्रय नहीं किया जा सकता था तथा न ही उनके द्वारा किया गया है। प्रार्थी की आराजी को हडपने के लिए गलत व विधि विरूद्ध विक्रय होना दर्शाते हुए नामान्तकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो गलत है। यह कि कथित विक्रय में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, जिससे उक्त विक्रय प्रारम्भतः शून्य है। उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि उक्त नामान्तकरण दायर करते समय क्रेता का कब्जा नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कब्जा नहीं होते हुए भी उक्त नामान्तकरण को स्वीकार किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि प्रार्थी आज भी उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी का विभाजन भी मौके पर कभी भी नहीं हुआ है, अप्रार्थी संख्या दो ने आराजी का

जिला कलेक्टर, सिरोही

विभाजन का वाद सहायक जिलाधीश सिरोही की अदालत में प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर में लम्बित है। प्रार्थी उक्त वाद में पक्षकार नहीं होने से विवाद की जानकारी नहीं थी, अब पक्षकार बनकर उक्त वाद में भी प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्व अभिलेख में निरस्त की गई डिक्री व निर्णय के आधार पर विभाजन अनुसार अलग खाता दर्ज किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त रेफरेन्स को स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित आराजी के सम्बन्ध में दायर नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 25.06.1994 को निरस्त किए जाने हेतु एवं उसकी अनुपालना में उक्त भूमि से सम्बन्धित पारित नामान्तरकरण को खारिज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित करने के आदेश प्रदान करावें।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या एक की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई व अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किए।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें प्रार्थी व उसकी पुत्रीयों का 1/6 वां हिस्सा है। उक्त आराजी में प्रार्थी अपने भाईयों तथा उनके वारिसान के साथ मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी आज भी मौके पर काबिज है तथा आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहा है। यह कि प्रार्थी व उसके भाई अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की आराजी है, जिसका विक्रय या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति, संस्था, कम्पनी या अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकता है, ऐसा विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णतया प्रतिबंधित है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की उक्त आराजी का हस्तान्तरण कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं किया है। यह कि प्रार्थी की उक्त आराजी का नीलामी में भी विक्रय भी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता है, विधि अनुसार नीलामी में भी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि को अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है, फिर भी जन जागरण शिविर दिनांक 25.06.1994 में नामान्तकरण संख्या 240 खोलकर यह दर्ज किया गया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सिरोही के आदेश कमांक 93–94, 94–97 दिनांक 03.02.1994 के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो मुकनसिंह पुत्र चन्दनसिंह द्वारा कृषि भूमि खुली नीलामी से क्रय 1/6 हिस्सा की है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार अमल दरामद हेतु आदेशित किया गया है, तहसीलदार शिवगंज के आदेश कमांक तराले/94–95/768–70 दिनांक 26.04.1994 के तहत पालनार्थ नामान्तकरण दायर किया गया। आगे यह भी अंकित किया गया कि मौके पर क्रयकर्ता श्री मुकनसिंह पुत्र चन्दनसिंह का वास्तविक कब्जा काश्त नहीं है। यह कि उक्त नामान्तकरण दर्ज किया जाकर उसी रोज केम्प में स्वीकार किया गया और उक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी की पीठ पीछे की गई है, जबकि प्रार्थी ने कभी भी कोई ऋण किसी भी बैंक या संस्था से प्राप्त नहीं किया है तथा न ही प्रार्थी से कोई व्यक्ति राशि मांगता है, प्रार्थी की उक्त भूमि की खुली नीलामी कभी भी नहीं हुई है तथा न ही अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूमि को नीलामी में खरीद किया है। तत्कालीन तहसीलदार, शिवगंज अप्रार्थी संख्या दो के नजदीकी रहे है, जिन्होनें प्रार्थी की भूमि को हडपने के दुर्भावनापुर्ण आशय से समस्त कागजी कार्यवाही प्रार्थी की पीठ पीछे प्रार्थी

जिला कलेक्टर, सिरोही

की जानकारी के बिना की गई है। यह कि धारा 42 'ख' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनूसूचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जन जाति का सदस्य न हो, शून्य होगा। प्रार्थी जो अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था, जिनके द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति के हक में आराजी का विक्रय नहीं किया जा सकता था तथा न ही उनके द्वारा किया गया है। प्रार्थी की आराजी को हडपने के लिए गलत व विधि विरूद्ध विक्रय होना दर्शाते हुए नामान्तकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो गलत है। यह कि कथित विक्रय में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, जिससे उक्त विक्रय प्रारम्भतः शून्य है। उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि उक्त नामान्तकरण दायर करते समय क्रेता का कब्जा नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कब्जा नहीं होते हुए भी उक्त नामान्तकरण को स्वीकार किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि प्रार्थी आज भी उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी का विभाजन भी मौके पर कभी भी नहीं हुआ है, अप्रार्थी संख्या दो ने आराजी का विभाजन का वाद सहायक जिलाधीश सिरोही की अदालत में प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर में लम्बित है। प्रार्थी उक्त वाद में पक्षकार नहीं होने से विवाद की जानकारी नहीं थी, अब पक्षकार बनकर उक्त वाद में भी प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्व अभिलेख में निरस्त की गई डिक्री व निर्णय के आधार पर विभाजन अनुसार अलग खाता दर्ज किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त रेफरेन्स को स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित आराजी के सम्बन्ध में दायर नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 25.06.1994 को निरस्त कर प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम जैतपुरा पटवार मण्डल जैतपुरा तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 271, 272, 273, 275, 276, 277/1, 278, 279, 281 व 302 रकबा क्रमशः 0.2671, 0.4047, 0.0728, 0.5585, 3.3022, 0.2428, 0.0567, 1.8535, 0.4371 व 1.3759 कुल किता 10 कुल रकबा 18.5713 हैक्टेयर कसना हि. 1/10, भगा हि. 1/10 पि. वेनाराम, चमनाराम हि. 1/20, नारायणलाल हि. 1/20, महेन्द्र कुमार हि. 1/20, रतनलाल हि. 1/20 पि. कलाराम, जगा हि. 1/30, जोधा हि. 1/30, चमनी हि. 1/30, तिजा हि. 1/30, वरजु हि. 1/30 पि. मनाराम, देवी पत्नि मनाराम हि. 1/30, नेनू हि. 1/10, मथरा हि. 1/10 पि. जोराराम, हकमाराम हि. 1/7, वनकीदेवी हि. 2/35 पि. देवाराम जाति मीणा निवासी जैतपुरा के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा ग्राम जैतपुरा के खसरा नम्बर 277/2, 295, 334 रकबा क्रमशः 0.0324, 1.0036, 0.6718 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7078 हैक्टेयर भूमि श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी वेसारामपुरा के नाम से खातेदारी दर्ज है। यह कि ग्राम जैतपुरा के नामान्तरकरण संख्या 240 का अमलदरामद होने के पूर्व खसरा संख्या 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 295, 302 व 334 कुल किता 12 कुल रकबा 63.10 बीघा कृषि भूमि श्री पूनाराम, मनाराम, जोराराम, देवाराम व छोगाराम पिसरान श्री राजा व श्री कसना, भगा पि. वेनाराम जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थे। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/6 हिस्से में श्री छोगाराम पुत्र राजाजी जाति मीणा का कब्जा काश्त है व शेष 5/6 हिस्से की भूमि में उसके भाई व भाईयों के पुत्र व पुत्रियां काबिज काश्त है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

यह कि प्रार्थी छोगाराम अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और ग्राम जैतपुरा के नामान्तरकरण संख्या 240 के द्वारा श्री छोगाराम की उपरोक्त वर्णित भूमि में दर्ज 1/6 हिस्सा श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी वेरारामपुरा के नाम दर्ज हुआ तथा श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह अनुसूचित जनजाति से भिन्न सवर्ण जाति का व्यक्ति है।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता श्री भवानीसिंह देवडा ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजी मे से खसरा नम्बर 295 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 334 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 277/2 रकबा 04 चार बिस्वा कुल किता 03 तीन कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 दो नीलामी में बोली लगाकर कलेक्टर महोदय सिरोही के आदेश से खातेदार कृषक बना है। यह कि प्रार्थी का 1/6 वां हिस्सा कुर्क होकर नीलाम हो चुका है और प्रार्थी की जगह अप्रार्थी संख्या दो के नाम नामान्तरकरण हो चुका है। शेष आराजी पर प्रार्थी अपने के भाईयों की सहमति से काश्त करता हो तो अप्रार्थी संख्या दो को जानकारी में नहीं है। यह कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति जरूर है, परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हक अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के संशोधन 1992 के द्वारा आर.टी. एक्ट की धारा 42(ए) को भी विलोपित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को समय समय अवैधानिक अथवा अनियमित हस्तान्तरण को नियमित करने हेतु आवंटन, नियमन तथा रूपान्तरण आदि नियम समय समय पर बनाकर भी ऐसे हस्तान्तरण को मान्यता दे दी और अन्त में यह दिनांक 11.11.1992 संशोधन (1992) पारित करते हुए धारा 42 (1–क) एवं धारा 42 (ए) आर. टी. एक्ट को विलोपित कर दिया। नामान्तरकरण को रद्द करना कोई लाभप्रद नहीं है क्योंकि विक्रय नहीं हुआ है। विवादित भूमि की नीलामी जिला कलेक्टर महोदय सिरोही के आदेश से तहसीलदार साहब शिवगंज ने कुर्क करके नीलामी करवाई और नीलामी में बोली अप्रार्थी संख्या दो मुकनसिंह के नाम खत्म हुई थी। यह है कि प्रार्थी के विरूद्ध लडकी अपहरण का केस पुलिस थाना शिवगंज में दर्ज होकर चालान सी.जे.एम. कोर्ट सिरोही में पेश हुआ, जिसका प्रकरण संख्या 08/1986 था। मुकदमा में प्रार्थी हाजिर नहीं होने से सी.जे.एम. न्यायालय सिरोही ने 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये का कुर्की/वसूली वारन्ट जिला कलेक्टर महोदय सिरोही को भेजा। कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार साहब के जरिये कुर्क कर अपने कब्जे लेकर नीलामी की समस्त कानूनी प्रक्रिया पूर्ण की। नीलामी अप्रार्थी संख्या दो के नाम खत्म होने से नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 25.06.1994 दर्ज करवाया, जो विधि माफिक है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह कि प्रार्थी की भूमि की नीलामी फौजदारी प्रकरण संख्या 08/1986 मुख्य दण्डनायक मजिस्ट्रेट महोदय सिरोही के कुर्की/वसूली वारन्ट के जरिये कुर्क करके नीलाम हुई थी, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो की कोई दुर्भावना नहीं रही है और तहसीलदार साहब शिवगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को उत्प्रेरित करने पर नीलामी में बोली लगाई थी। यह कि विवादित आराजी का विक्रय नहीं हुआ बल्कि सी.जे.एम. न्यायालय सिरोही के आदेश से कुर्की पश्चात् खुली नीलामी हुई। सही तथ्य यह है कि न्यायालय के आदेश पर वसूली किया जाना आवश्यक था। प्रार्थी छोगाराम अति झगडालू, बदमाश, शराबी व्यक्ति होने के खौफ से पुलिस वाले व गांव वाले, पडौसी गांव वाले भयभीत थे। प्रथम नीलामी बोली में कोई भी बोली लगाने नहीं आया। प्रथम नीलाम नहीं होने पर तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार जी को सस्पेण्ड कर दिया। नये तहसीलदार जी ने जानकारी लेकर, अप्रार्थी संख्या दो को उत्प्रेरित किया। अप्रार्थी संख्या दो नीलामी में बोली लगाने हेतु तैयार हुआ, तब 20–30 लोग भी तैयार हुए। अप्रार्थी संख्या दो का दुर्भाग्य रहा कि बोली अप्रार्थी संख्या दो के नाम पर खत्म

जिला कलेक्टर, सिरोही

हुई। अप्रार्थी संख्या दो फंस गया। अप्रार्थी के पक्ष में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर नामान्तरकरण भरा जाने व मौके पर कब्जा कलेक्टर महोदय के आदेश से दिया। जिससे कलेक्टर महोदय को यह रेफरेन्स सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह कि एल. आर. एक्ट की धारा 251 के अन्तर्गत कलेक्टर महोदय ने कब्जा दिये जाने का प्रमाण पत्र जारी किया और अप्रार्थी संख्या दो को कब्जा सुपूर्द किया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत् पूर्ण कर नामान्तरकरण दर्ज किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के बंटवाड़ दावा रेवेन्यु कोर्ट शिवगंज द्वारा स्वीकार कर फाईनल डिक्री जारी की, तब भी प्रार्थी ने कब्जा कभी नहीं छोडा है, जबकि बंटवाड़ दावा प्रस्तुती से पूर्व ही प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड से हट चुका था, जिससे प्रार्थी के पक्षकार बनने का हक नहीं रहा। प्रार्थी की जगह अप्रार्थी संख्या दो खातेदार कृषक बना। राजस्व मण्डल अजमेर में बंटवाड़ दावा की अपील/रिविजन विचाराधीन है तो प्रार्थी को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का धारा 10 सी.पी.सी. के तहत अधिकार नहीं है जिससे रेफरेन्स खारिज काबिल है। यह कि उक्त प्रार्थना पत्र अत्यधिक देरीना प्रस्तुत किया गया है, जिससे उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से परिपोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाना फरमावें।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि

ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा
1	271	1.13 बीघा
2	272	2.10 बीघा
3	273	0.09 बीघा
4	275	3.09 बीघा
5	276	20.08 बीघा
6	277	1.14 बीघा
7	278	0.07 बीघा
8	279	11.09 बीघा
9	281	2.14 बीघा
10	295	6.04 बीघा
11	302	8.10 बीघा
12	334	4.03 बीघा
कुल किता 12		कुल रकबा 63.10 बीघा

कुल किता 12 कुल रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्ष 1994 से पूर्व श्री पूनाराम, मनाराम, जोराराम, देवाराम व छोगाराम पिसरान श्री राजा व श्री कसना, भगा पि. वेनाराम जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी, जिसमें प्राथी श्री छोगाराम पिसरान श्री राजा का 1/6 वां हिस्सा दर्ज था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी श्री छोगाराम के नाम से न्यायालय के द्वारा वसूली आदेश जारी करने पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/93–94/एफ.5/9/17/जिराले/194–97 दिनांक 03.02.1994 के अनुसार

जिला कलेक्टर, सिरोही

अप्रार्थी संख्या दो श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह राजपूत द्वारा खुली नीलामी में प्रार्थी की उक्त भूमि 1/6 वां हिस्सा को क्रय किया जाने से तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार अमल दरामद हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/तराले/94–95/768–70 दिनांक 26.04.1994 के द्वारा पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दायर करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेशों की पालना में पटवारी हल्का जैतपुरा द्वारा जन जागरण शिविर दिनांक 25.06.1994 में उपरोक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थी श्री छोगाराम के हिस्से की 1/6 वां भाग की भूमि का नामान्तकरण इस टिप्पणी के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक शिवगंज के समक्ष प्रस्तावित किया कि जिला कलक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/93–94/एफ.5/9/17/जिराले/194–97 दिनांक 03.02.1994 के अनुसार श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह राजपूत द्वारा खुली नीलामी से क्रय 1/6 हिस्सा की है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार अमल दरामद हेतु आदेशित किया गया है तथा तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक/तराले/94–95/ 768–70 दिनांक 26.04.1994 के तहत पालनार्थ नामान्तरकरण दायर किया गया और मौके पर क्रयकर्ता श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह का वास्तविक कब्जा काश्त नहीं है। इसके पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक शिवगंज द्वारा भी उक्त नामान्तरकरण इस टिप्पणी के साथ तहसीलदार शिवगंज के समक्ष प्रस्तावित किया कि जिला कलक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/93–94/एफ.5/9/17/जिराले/194–97 दिनांक 03.02.1994 एवं तत्कालीन तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक/तराले/94–95/768–70 दिनांक 26.04.1994 के अनुसार अंकन सही है तथा क्रयकर्ता का मौके पर कब्जा नहीं है। इसके उपरान्त तहसीलदार शिवगंज द्वारा उक्त नामान्तरकरण का परीक्षण कर कोर्ट के आदेश की पालना में स्वीकृत किए जाने का अंकन करते हुए उक्त नामान्तरकरण को अप्रार्थी संख्या दो के हक में स्वीकृत किया गया, जिससे नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 25.06.1994 के द्वारा प्रार्थी के हिस्से की 1/6 भाग की भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या दो के हक में किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति की भूमि का बेचान/नीलामी अनुसूचित जनजाति से भिन्न वर्ग किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता का यह तर्क सही है कि प्रार्थी एक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है और इनकी भूमि का खुली नीलामी के द्वारा बेचान अप्रार्थी संख्या दो सवर्ण जाति के व्यक्ति के हक में किया गया है। चूंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जरिए परिपत्र क्रमांक.प.5(42)राज–4/80 दिनांक 01.05.1981 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बैकों, सहकारी समितियों आदि द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी द्वारा जनसाधारण में लिया जाने वाला उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) के उपबंधों का उल्लघंन नहीं है। अतः उक्त परिपत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं कराने पर वसूली की राशि नीलामी करके उनकी भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान करने की छूट दी गई थी। इस प्रकार तत्समय अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमि को नीलामी में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचने का प्रावधान था और इसी प्रावधान के आधार पर ही नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रार्थी संख्या दो को उक्त कृषि भूमि की नीलामी में उच्च बोली के आधार पर बेचान की गई है। चूंकि उक्त नीलामी बोली एवं प्रमाण पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध एवं शून्य घोषित नहीं किया है, जिससे उक्त नीलामी बोली एवं

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रमाण पत्र वैध एवं प्रभावी प्रतीत होते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित आराजी का विभाजन के सम्बन्ध में वाद अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सहायक कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। अतः उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वाद विचाराधीन होने के जानकारी प्रार्थी को होने के उपरान्त भी उनके द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अत्यधिक देरीना लगभग 27 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब की अवधि के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी श्री छोगाराम के नाम से न्यायालय द्वारा वसूली आदेश जारी करने पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/93–94/एफ. 5/9/17/जिराले/194–97 दिनांक 03.02.1994 के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो श्री मुकनसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह राजपूत द्वारा खुली नीलामी में प्रार्थी की उक्त भूमि 1/6 हिस्सा को क्रय किया जाने से तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार अमल दरामद हेतु आदेशित किया जाने पर तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/तराले/94–95/768–70 दिनांक 26.04.1994 के द्वारा पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दायर करने हेतु निर्देशित किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा जरिए परिपत्र क्रमांक.प.5(42)राज–4/80 दिनांक 01.05.1981 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं कराने पर वसूली की राशि नीलामी करके उनकी भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान करने की छूट दिए जाने पर उपरोक्त विवादित भूमि का अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खुली नीलामी में बेचान किया गया, जिसका जन जागरण शिविर दिनांक 25.06.1994 में नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 25.06.1994 को स्वीकृत किया गया। अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जरिए परिपत्र क्रमांक.प.5(42)राज–4/80 दिनांक 01.05.1981 के द्वारा छूट दिए जाने से इस प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही